न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—73/2018/223 (2018/00073)

1. श्रीमती नैनी देवी पत्नि देवा कुम्हार, निवासी ग्राम सथाना, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भागीरथ पुत्र सूरजमल गुर्जर (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— होती पत्नि भागीरथ,
   1/2— हैमराज पुत्र भागीरथ,
   1/3— पूसी पुत्री भागीरथ पत्नि रामा,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सथाना, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
   1/4— भूरी पुत्री भागीरथ पत्नि श्री राम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जोगपुरा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
   1/5— सम्पति पुत्री भागीरथ पत्नि भींवराज, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम खुटिया वाया विजयनगर, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
2. अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी लिमिटेड सथाना, तह0 मसूदा, जिला अजमेर।
3. व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी लिमिटेड सथाना, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, विजयनगर, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 22.11.2017 अंतर्गत वाद संख्या 84/2011.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री विकास पाराशर, वकील अपीलांट ।
2. श्री सलीम मोहम्मद, वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3.
3. रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/5 अनुपस्थित ।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 26.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

थाना पटवार क्षैत्र स्थाना, भू–अभिलेख क्षैत्र विजयनगर, तहसील मसूदा, जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता संख्या 170 के खसरा संख्या 1750 रकबा 4–11–00 अवस्थित है । उक्त भूमियो के प्रतिवादी संख्या 1 भागीरथ गुर्जर खातेदार काश्तकार थे जिन्होंने वर्णित भूमियों को दिनांक 26.6.1984 को वादिया के पति देवा पुत्र तुलछा कुम्हार को तीन हजार रूप्ये में बेचान की एव क्रय दिनांक से ही वादिया अपने पति के जीवनकाल से ही वादग्रस्त भूमियो की मालिक काबिज है। कब्जे बाबत् किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है । इतना ही नहीं ग्राम पंचायत द्वारा इस बाबत् वादिया के हक में प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है । वादिया के पति ने वादग्रस्त भूमियों कुआं खुदवाया एवं वादिया के पति के मरणोपरांत वादिया ने मेहनत मजदूरी कर ट्यूबवेल भी खुदवाया है । जब प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिया के पति के में बेचानशुदा भूमियों पर ऋण ले लिया एवं वाद कारण उस दिनांक को भी उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने लिये गये ऋण की राशि नहीं चुकाई एवं वाद कारण उस दिनांक को भी उत्पन्न हुआ जब वादिया के पति के हक में बेचानशुदा भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया तद्परांत वाद कारण दिनांक 20.7.2011 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विभागीय कर्मचारियों ने आकर वादिया को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी ! अतः वाद स्वीकार कर वादीया को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में किये गये नामांतकरण को निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि वादिया द्वारा अपने वादपत्र को साबित करने के लिए समस्त साक्ष्य, गवाह आदि प्रस्तुत किये थे किन्तु अधी0नया0 ने उपरोक्त पर बिना कोई विवेचन किये अपने निर्णय व डिक्री से नॉन–स्पीकिंग आदेश से वाद खारिज कर दिया । इस तथ्य को भी नजरअदांज कर दिया कि विवादित आराजियात बाबत् दिनांक 26.6.1984 को वादिया के पति को आराजियात का बेचान कर दिया था जिसके आधार पर वादिया उपरोक्त आराजियात पर काबिज काश्त है । वादिया द्वारा तत्समय की विक्रय राशि भी अदा कर दी गई थी इसलिये वादिया का वाद डिक्री योग्य था । वादिया के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसके तहस वादिया ही आराजियात पर काबिज काश्त है । विपक्षीगण द्वारा विवादित आराजियात बेचान किये जाने के उपरांत उनका वादग्रस्त आराजियात में कोई हक व अधिकार शेष नहीं बचता है । बेचान बाबत् दिनांक 26.6. 1984 को रेस्पो0 द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था किन्तु राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं हो पाया इसलिये अधी0न्याया0 को वादिया का वाद डिक्री करना चाहिये था । अपीलांट गत् 30–40 वर्षो से विवादित आराजियात पर काबिज है । अधी0न्याया0 ने विक्रय पत्र को मात्र लिखतम मानकर वाद खारिज किया है । वादिया का वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी डिक्री किये जाने योग्य था किन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर

अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादिया का वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थिया अत्यन्त ही वृद्ध, निरक्षर एवं गरीब महिला है जिसे कानून की जानकारी नहीं है । प्रार्थिया को उसके अधिवक्ता ने आश्वस्त कर रखा था कि जब तुम्हारी आवश्यकता होगी बुला लेगें । प्रार्थीया जब दिनांक 15.3.2018 को अपने अधिवक्ता से मुकदमे की जानकारी करने हेतु गई तो उन्होंने कहा कि मुकदमा खारिज हो चुका है । निर्णय की जानकारी बाबत् पत्र भी दिया था किन्तु उक्त पत्र प्रार्थिया को प्राप्त नहीं हुआ । तत्पश्चात् प्रार्थिया ने जानकारी होते ही प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन पत्र पेश कर प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट ने जिस दस्तावेज दिनांक 26.6.1984 के आधार पर वाद पेश किया है वह इकरारनामा की छाया प्रति है तथा इकरारनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है । खसरा नंबर 1750 जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 में भागीरथ पुत्र सूरजमल गूजर के नाम खातेदारी से दर्ज है जो नामांतकरण संख्या 1520 दिनांक 20.6.2002 द्वारा जरिये बेचान से ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 सथाना के नाम दर्ज हुई है । विवादित आराजियात पर अपीलांट का कब्जा काश्त न होकर रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादिया/अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी खाता संख्या 170 के खसरा नंबर 1750 रकबा 4–11–00 के खातेदार भागीरथ गुर्जर थे जिसने विवादित आराजी दिनांक 26.6.1984 को वादिया के पति देवा पुत्र तुलछा कुम्हार को तीन हजार रूपये में बेचान कर कब्जा काश्त संभला दिया था तब से विवादित आराजी पर केता देवा तत्पश्चात् वादिया ही काबिज काश्त चली आ रही है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज 26.6.1984 के अवलोकन किया गया । उक्त दस्तावेज विक्रय पत्र न होकर अपंजीकृत इकरारनामा है । इकरारनामा को विक्रय पत्र नहीं माना जा सकता है । इकरारनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी खसरा नबर 1750 रकबा 4–11–00 ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 सथाना जरिये अख्यक्ष गजराजसिंह व व्यवस्थापक पन्नालाल शर्मा के नाम अंकित है । बिना विधिक दस्तावेज के वादिया खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारिणी नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन, विश्लेषण उपरांत वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त

विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर